संख्या– 1120 /XVI/05/5(134)/05

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तरांचल उद्यान भवन चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग देहरादून: दिनांक 9 सितम्बर, 2005

विषयः–सेब के विपणन हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय व्यवस्था की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक शून्य/उ0त0/सेब नास0/बा0ह0यो0/05–06, दिनांक 07–6–05 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है,कि उत्तरांचल के सेब उत्पादक क्षेत्रों/चयनित जनपदों के कृषकों हेतु उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदत्त किए जाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना उत्तरांचल में क्रियान्वित किये जाने के निमित्त योजना के तात्कालिक संचालन हेतु उद्यान विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में इस हेतु कोई योजना/वित्तीय प्राविधान उपलब्ध नहीं होने तथा सेब तुडाई का कार्य प्रारम्भ हो जाने की स्थिति में अपरिहार्य परिस्थितियों में महामहिम श्री राज्यपाल उक्त योजना के संचालनार्थ रूपया–25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रकिया(स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग साप्ताहिक आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर पाक्षिक आधार पर वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/ व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जावेगा।

2/–

6909005001

7– फलों के विक्रय से प्राप्त आय को सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उद्यान विभाग के राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

8– इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय प्रथमतः लेखा शीर्षक–8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि–लेखा–201–समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या– 29 के अन्तर्गत नई योजना के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0113–बाजार हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन (राज्यांश)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

रा0आ0निधि0 संख्या–92/वित्त अनुभाग–2/2005/तद् दिनांकित,

प्रतिलिपि महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी–प्रथम),उत्तरांचल ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड,माजरा,देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव,वित्त।

संख्या– 1120/xvl/05 /5(134)/05, तद् दिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम राजपुर रोड़,देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
3. जिला उद्यान अधिकारी नैनीताल/देहरादून/उत्तरकाशी/चमोली।
4. उप निदेशक गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
5. वित्त अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन।
6. निदेशक (सहकारिता) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार,नई दिल्ली।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।